

FORM NO.III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

फिरोजपुरी बनाम कैलाशपुरी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट नम्बर 101/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19.3.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>फिरोजपुरी</u></p> <p>पिता श्री <u>खुभाठापुरी जोस्वामी</u></p> <p>निवासी <u>धरियावली चित्तौड़गढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>धरियावली</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>671, 3500/1666, 3506/1662, 3508/1663, 3510/1664, 3512/1665, 3513/1670, 3516/1672, 3517/1688</u></p> <p>कुल कीता <u>9</u> कुल रकबा <u>10850</u> हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी को ग्राम <u>धरियावली (धरियावली) (0.2)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>671, 3500/1666, 3506/1662, 3508/1663, 3510/1664, 3512/1665, 3513/1670, 3516/1672, 3517/1688</u></p> <p>कुल कीता <u>9</u> रकबा <u>10850</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>रु० हजा (रु० 1000)</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्त पर पेश हो।</p>


 (सि. देवना)
 मुख्य न्यायाधीश एन
 उच्च न्यायालय
 चित्तौड़गढ़ (राज.)